निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-44 वर्ष 2016-17 यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सचिव, विधान सभा सचिवालय, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्षा द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सचिव, विधान सभा सचिवालय, देहरादून के माह **01/2016 से 12/2016** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री श्याम करन सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी** द्वारा दिनांक **11.01.2017 से 21.01.2017** तक **श्री प्रेमचन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मक : इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री **टी0एस0नेगी व श्री ललित थपलियाल**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25.01.2016 से 04.02.2016 तक श्री **पुष्कर, वरिष्ठ** लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 03/2015 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2016 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: **देहरादून**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रु लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	-	-	262000000	262000000	215568000	205703562	-	-
2014-15	-	-	1131000000	931322000	297416000	275596029	-	-
2015-16	-	-	255000000	-	330173000	299946600	-	-
2016-17 (12/2016 तक)	-	-	152000000	100000000	359677000	231826912	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
			शून्य		

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **कार्यालय सचिव, विधान सभा सचिवालय, देहरादून 'ए'** श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्तर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

माननीय विधान सभा अध्यक्ष
सचिव, विधान सभा

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि :** लेखापरीक्षा में .....

को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सचिव, विधान सभा सचिवालय, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्त्यां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की **धारा 13, 16** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

प्रस्तरः 01 विधानसभा सचिवालय परिसर में निर्मित अतिथि गृह के निर्माण पर रू 123.07 लाख का निष्फल व्यय किया जाना।

प्रस्तरः 02 गैरसैण में विधान सभा के निर्माण कार्य पर पुनरीक्षित आगणन की स्वेकृति की प्रत्याशा में रू 10 करोड की धनराशि का अतिरिक्त व्यय/अवमुक्त किये जाने के फलस्वरूप निर्माण कार्य पूर्ण न किया जाना।

भाग-II 'ब'

प्रस्तरः 01रू 9.71 लाख कार्यदायी संस्था के पास दो वर्षो से अवरूद्ध रहना।

प्रस्तरः 02 रू 30 लाख की धनराशि का समायोजन न किया जाना।

भाग दो 'अ'

प्रस्तरः 01 विधानसभा सचिवालय परिसर में निर्मित अतिथि गृह के निर्माण पर रू 123.07 लाख का निष्फल व्यय किया जाना।

शासनादेश द्वारा विधान सभा सचिवालय परिसर में विस्तार भवन एवं गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु रू 460.75 लाख की धनराशि व्यय हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।(मार्च 2010) इस कार्य हेतु परियोजना प्रबन्धक परियोजना इकाई देहरादून को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। इसी कार्य हेतु फरवरी 2013 में रू 671.80 लाख का पुनरीक्षित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दरों में वृद्धि, विस्तार भवन एवं अतिथि गृह के क्षेत्रफल में वृद्धि, इन्टीगेशन सिस्टम का प्रावधान एवं सिफिट यूटिलिटी सविसेंस का प्रावधान के कारणो प्रदान की गई। निर्माण इकाई द्वाराअवमुक्त धनराशि के सापेक्ष रू 654.89 लाख की धनराशि का व्यय किया जा चुका है। अवशेष धनराशि रू 16.91 लाख शासन को समार्पित कर दी गई है। निर्माण इकाई द्वारा निर्माण कार्यपूर्ण हो कर दिनांक 04.02.2015 को विभाग हो हस्तगत किया गया।

सचिवालय विधान सभा की पत्रावली की जांच में यह पाया गया है कि अतिथि गृह निर्माण कार्य पूर्ण होकर दिनांक 04.02.2015 को हस्तगत की तिथि से जनवरी 2017 तक किसी भी अतिथियों ने अतिथि गृह में निवास नही किया गया है। इस प्रकार अतिथि गृह के निर्माण कार्य पर किया गया व्यय रू 99.02 लाख एवं उक्त अतिथि गृह में रू 16.93 लाख का फर्नीचर एवं रू 7.12 लाख मूल्य की अन्य सामग्री क्रय करके रखा गया है। इस प्रकार कुल रू 123.07 लाख की धनराशि के व्यय के उपरान्त भी अतिथि गृह का उपयोग नही हो रहा था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्पेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि अतिथि गृह को चालू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी एवं आगन्तुक रजिस्टर बनाया जायेगा। उत्तर मान्य नही है क्योंकि इकाई की उदासीनता की कमी के कारण लगभग दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अतिथि गृह में कोई अतिथियों ने निवास नही किया है। और न ही विभाग द्वारा अतिथि गृह को चालू करने का कोई प्रयास किया था। माह जनवरी 2017 तक अतिथि गृह बन्द पडा हुआ था।

अतः विधानसभा सचिवालय परिसर में निर्मित अतिथि गृह के निर्माण पर रू 123.07 लाख की धनराशि का निष्फल व्यय किया जाने का प्रकरण शासन के सज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'अ'

प्रस्तरः 02 गैरसैण में विधान सभा के निर्माण कार्य पर पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति की प्रत्याशा में रू 10 करोड की धनराशि का अतिरिक्त व्यय/अवमुक्त किये जाने के फलस्वरूप निर्माण कार्य पूर्ण न किया जाना।

शासनादेशद्वारा जनपद चमोली के भराडीसैण,गैरसैण में विधान सभा भवन, आफिस कैटरिग, एम0 एल0 ए0 आवास 60 नग, अधिकारी हास्टल 60नग,वी0आई0वीमंत्रीआवास 16 नग, वी0वी0आई0पी0 मुख्यमंत्री, माननीय विधान सभा अध्यक्ष, उप विधान सभा अध्यक्ष एवं हेलीपैड एवं अन्य अवस्थापना सम्बन्धित निर्माण कार्य हेतु रू 105.0322 करोड धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई (जनवरी 2014)। इस कार्य हेतु कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक एन बी सी सी देहरादून को नामित किया गया था। कार्यदायी संस्था को स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष समस्त धनराशि मार्च 2016 तक अवमुक्त कर दिया गया था।

कार्यालय विधान सभा सचिवालय देहरादून के गैरसैण विधान सभा निर्माण कार्य की पत्रावली की जांच (जनवरी 2017) में पाया गया है कि कार्यदायी संस्था को स्वीकृति राशि के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू 105.03 करोड मार्च 2016 तक अवमुक्त कर दी गयी थी, साथ ही इस कार्य को पूर्ण कराने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक की गयी (अक्टूबर 2016), जिसमें मूल आगणन रू 105.03 करोड को पुनरीक्षित लागत रू 168.02 करोड करने पर चर्चा हुई। लेखापरीक्षा में पाया गया है कि विधानसभा सचिवालय द्वारा नवम्बर 2016 में पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यदायी संस्था को रू 10 करोड निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु अवमुक्त कर दिया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा जनवरी 2017 तक 80प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किये गये थे। जबकि सम्पूर्ण अवमुक्त धनराशि व्यय की जा चुकी थी।

विधानसभा सचिवालय द्वारा पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति की प्रत्याशा में अवमुक्त किये गये अतिरिक्त धनराशि रू 10 करोड मूल शासनादेश (जनवरी 2014) में दिये गये निर्देश 5.के अनुसार कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगें तथा आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा एवं कार्य समय से पूर्ण करा लिया जायेगा।

निर्देश 06 के अनुसार कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से पाविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाए, का उल्लंघन किया गया है। जबकि विधानसभा सचिवालय द्वारा एम ए ओ यू के बिन्दु सं0 02 के अनुसार यह सहमति है कि कार्यप्रगति के समय यदि कुल अनुमानित लागत की वृद्धि 10 प्रतिशत से ज्यादा हो तब कार्यदायी संस्था ग्राहक विभाग को पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा एवं जब तक उस पुनरीक्षित प्राक्कलन का सहमति प्राप्त न हो तब तक अगला कार्य प्रारम्भ नही करेगा। कार्यदायी संस्था को पुनरीक्षित प्राक्कलन के सापेक्ष सम्पूर्ण तथ्य कारण सहित प्रस्तुत करना होगा, किस कारण से लागत की वृद्धि हुई है।

सम्प्रेक्षा द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है किं मंत्रीमण्डल द्वारा विधान सत्र गैरसैण में आहूत किये जाने के फलस्वरूप पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति की प्रत्याशा में विधान सभा सत्र के आयोजन हेतु निर्माणाधीन भवन के तात्कालिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत कतिपय कार्यो को पूर्ण कराने हेतु वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन एवं मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के अनुमोदनोंपरान्त रू 10 करोड की धनराशि जारी की गई है। उत्तर मान्य नही क्योंकि शासनादेश जनवरी 2014 के प्रस्तर सं0 04.निर्माण कार्य समय पर पूर्ण हो तथा कास्ट ओवर रन न हो यह सुनिश्चित कर लिया जाए। कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगें तथा आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा एवं कार्य समय से पूर्ण करा लिया जायेगा। उसके बाउजूद कार्य संस्था द्वारा पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति की प्रत्याशा में रू 10 करोड की धनराशि का अतिरिक्त व्यय किया जाना शासनादेश की विपरीत था।

अतः गैरसैण में विधान सभा के निर्माण कार्य पर पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति की प्रत्याशा में रू 10 करोड की धनराशि का अतिरिक्त व्यय किये जाने के फलस्वरूप निर्माण कार्य पूर्ण न किया जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तरः 01रू 9.71 लाख कार्यदायी संस्था के पास दो वर्षो से अवरूद्ध रहना।

उत्तराखण्ड शासनादेश द्वारा विधानसभा में एनेक्सी भवन एवं गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु रू 460.75 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई (मार्च 2010)। शासन द्वारा इस कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड देहरादून को नामित किया गया था। कार्यदायी संस्था एवं विभाग के एम ओ यू दिनांक 16.04.2011 को किया गया था। शासन द्वारा स्टील एवं कान्क्रीट की मात्रा अधिक होने एवं भवन की नींव अधिक होने के कारण निर्माण लागत में वृद्धि के कारण रू 671.80 लाख की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई (फरवरी 2013)।

कार्यालय विधान सभा सचिवालय की पत्रावली की जांच में पाया गया कि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि रू 654.89 में से रू 650.79 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय कर दिया गया। अवशेष धनराशि रू (4.10+5.61ब्याज)= रू 9.71लाख कार्यदायी संस्था के पास अवरूद्ध थी। कार्य पूर्ण होकर दिनांक 04.02.2015 को विभाग को हस्तगत हो गया था।

इस सम्बन्ध में सम्पेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि कार्यदायी संस्था से धनराशि शीघ्र की वापस प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अवशेष धनराशि रू 9.71 लाख कार्यदायी संस्था से वापस प्राप्त करने की कार्यवाही नही किया गया।

अतःरू 9.71 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था के पास विगत दो वर्षो से अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तरः 02 रू 30 लाख की धनराशि का समायोजन न किया जाना।

विधान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं0358/वि0स0/93/2014.15 देहरादून दिनांक 11 नवम्बर 2016 को भराडीसैण गैरसैण में दिनांक 17 एवं 18 नवम्बर 2016 को आहूत किये गये सत्र की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, संचार व्यवस्था एवं अन्य प्रकीर्ण कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु ड्रापट संख्या 780877 दिनांक 10.11.16 को धनराशि रू 30 लाख अग्रिम रूप से मूल रूप में जिला अधिकारी चमोली को पेषित किये गये थे।

कार्यालय विधानसभा सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि माह 11/2016 में गैरसैण में व्यवस्थाओं हेतु रू 30 लाख की धनराशि जिला अधिकारी चमोली को अवमुक्त किया गया था। परन्तु सम्पेक्षा तिथि माह जनवरी 2017 तक उक्त राशि का समायोजन अप्राप्त थे।

इस सम्बन्ध में सम्पेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि जिला अधिकारी को इस सम्बन्ध में पत्र पेषित किये जायेगें। उत्तर मान्य नही है क्योंकि उक्त राशि अवमुक्त किये हुए ढाई माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक समायोजन प्रस्तुत नही किये गये।

अतः रू 30 लाख की धनराशि का समायोजन न किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
सा0क्षे0/ले0प0प्रति0- 47/2014-15	01	शून्य	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
.....शून्य.....				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य .....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय सचिव, विधान सभा सचिवालय, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

तदर्थ नियुक्ति से सम्बन्धित पत्रावलियों एवं अन्य अभिलेख

2. **सतत् अनियमिततायें: शून्य**

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री जगदीश	सचिव	01/2013	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय सचिव, विधान सभा सचिवालय, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र